न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **83/2021**

प्रार्थीगण :-

1. श्रीमती किस्तुरीदेवी पत्नी तुलसाराम जाट निवासी कानासर
2. देवीलाल पुत्र भैराराम जाट निवासी गोदारों की बस्ती बायतु
3. नगाराम पुत्र धनाराम जाट निवासी कानासर तहसील शिव
4. सुरेन्दसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी 220ए तारानगर, ए त्रिवेणी पथ जयपुर झोटवाडा जयपुर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-.
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
2. राष्ट्रीय उच्च मार्ग परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये मुख्य / सहायक अभिंयता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडमेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, आर.एल.आर एक्ट

उपस्थितिः- 1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीगण

2. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

'निर्णय'

दिनांक :- 22.03.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम** 1956 के तहत **पेश कर** संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि सरहद मौजा सिंधीयों की ढाणी पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1037/42, 1039/42, 1040/43 नये खसरा न0 1695/42, 1696/43 अवस्थित है एवं प्रार्थीगण संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 4 के संयुक्त खातेदारी की भूमि सरहद मौजा मंडापुरा में खसरा संख्या 1042/44 नये खसरा संख्या 2891/41 अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों के मूल रकबा में से सडक निर्मित हो जाने की वजह से उपरोक्त खसरान का कुछ भाग सडक के बिदशा उत्तर में व कुछ भाग सडक के बदिशा दक्षिण में रहा, जिनके तरमीमी खसरा नंबर रेकर्ड में दर्ज किये गये, किन्तु मौके पर जहां सडक चल रही है वहां पर सडक की तरमीम नहीं होकर अन्य जगह पर तरमीम की हुई है यानि मौका व रेकर्ड लटठा ट्रेस की स्थिति में भिन्नता है क्योंकि मौके पर जहां सडक निर्मित हुई है वहां तरमीम नहीं होने की वजह से खसरा न0 1042/44 व 1037/42 का [illegible] में व कुछ भाग सड़क के दक्षिण मे रहा जिनके तरमीम खसरा नम्बर रे[illegible] किये गये किन्तु मौके पर जहां शेष भाग उपरोक्त खसरा [illegible] मौके पर चल रही सडक जिसके तरमीमी ख. स. 1038/42, 1041/43 [illegible] गांव सिंधियों की ढाणी व राजस्व गावं मंडापुरा में अवस्थित ख0न0 1043/44 है की तरमीम अन्य जगह पर [illegible] से उक्त तरमीम अशुद्व है, इस कारण मौके पर विवाद की स्थिति रहती है। राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:25:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

गांव सिंधियों की ढाणी में अवस्थित गैर मुमकिन सडक जिसके तरमीमी खसरा न0 1038/42, 1041/43 है जिसका रकबा जमाबंदी अनुसार कमशः 2.02 बीघा, 1.02 बीघा है, के रकबे में तथा सरहद मौजा मंडापुरा में अवस्थित सडक के तरमीमी खसरा न0 1043/44 का रकवा खतौनी अनुसार 1.12 बीघा भूमि में कोई कमी नहीं हो रही है मात्र मूल खसरा में से सडक की मौके की स्थिति अनुसार तरमीम करने हेतु ही अनुतोष चाहकर वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में उक्त हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुए। तहसीलदार पचपदरा को कमांक/राजस्व/ 2021/245 दिनांक 15.3.2021 को लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हेतु तहरीर जारी की गयी। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से सहायक अभियंता उपस्थित हुए और निवेदन किया गया जहां पर सड़क गुजर रही है, वहां पर ही तरमीम सही मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार सड़क की भूमि को यथावत रखते हुए तरमीम दुरूस्ती तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त करके की जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक कमांक/भू0अ0/2021/821 दिनांक 18.3.2021 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय मौका फर्द , सिंधियों की ढाणी के खसरा संख्या 42, 43 व ग्राम मंडापुरा के खसरा संख्या 44 की रेकर्ड व मौका स्थिति की मौका नजरी नक्शा तैयार कर भिजवाया गया।

प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया तथा प्रकरण का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2071–74 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ख. स. 1038/42, 1041/43 राजस्व गांव सिंधियों की ढाणी व राजस्व गावं मंडापुरा में अवस्थित ख0न0 1043/44 है की तरमीम अन्य जगह पर होने से उक्त तरमीम अशुद्ध है, तहसीलदार पचपदरा के द्वारा ग्राम सिंधियों की ढाणी के मूल ख. स. 42, 43 व ग्राम मंडापुरा के मूल खसरा न0 44 आयी हुई भूमि तरमीम नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" एवं मौके की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा ग्राम सिंधियों की ढाणी के मूल ख. स. 42, 43 व ग्राम मंडापुरा के मूल खसरा न0 44 आयी हुई भूमि तरमीम नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" एवं मौके की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित विवरण परिशिष्ट "स" के निम्नानुसार दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई किया गया है:-

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	नाम खातेदार
1.	सिन्धियों की ढाणी	1695/42	[illegible]–00	बा.दो	[illegible]	[illegible]लाल पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी [illegible] की ढाणी तहसील [illegible]
2.	सिन्धियों की ढाणी	1037/42 1039/42	8–01 1–17	[illegible] बा.दो.	[illegible] [illegible]4	किस्तुरीदेवी पत्नि तुलसाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:25:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

3.	सिन्धियों की ढाणी	1038/42	2–02	गै.मु. सड़क	–	राष्ट्रीय उच्चमार्ग एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार
4.	सिन्धियों की ढाणी	1696/43	1–00	बा.दो.	0–40	नगाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव
5.	सिन्धियों की ढाणी	1040/43	1–08	बा.दो.	0–56	किस्तुरीदेवी पत्नि तुलसाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव
6.	मण्डापुरा	1042/44	16–00	बा.दो.	6–40	किस्तुरीदेवी पत्नि तुलसाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव
7.	मण्डापुरा	2891/44	5–00	बा.दो.	2–00	सुरेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी 220ए तारानगर ए त्रिवेणी पथ जयपुर झोटवाड़ा जयपुर
8.	मण्डापुरा	1043/44	2–14	गैमु. सड़क	–	राष्ट्रीय उच्चमार्ग एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती एवं अमलदरामद किया जावे। तरमीम नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" एवं मौके की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित विवरण परिशिष्ट "स" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगें।

उप खण्ड अधिकारी बालोतरा

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:25:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner